न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 43/2020

उनवान

मदनलाल पुत्र राजू जाति माली नि0 राजगढ, नसीराबाद
—— वादी :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 मूकेश पुत्र रामस्वरूप,
2. कौशल्या पत्नी रामस्वरूप,
3. पांची पत्नी नौरतमल,
4. लादूराम पुत्र किशना जाति माली नि0 बसंत कॉलोनी ब्यावर,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :– 1 से 4 अनुपस्थित
5 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ में वादी की दान पत्र से प्राप्त खातेदारी की आराजी स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंकिंगख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
699	2–2–0	1676	0.34

वंकिंग खसरा नम्बर 699 रकबा 2–2–0 का सम्पूर्ण हिस्सा व अन्य आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पिता रामस्वरूप व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा वादी की माता शान्ति के नाम उपहार पत्र दिनांक 24.05.2002 को किया गया। उक्त दान पत्र के आधार पर वंकिग जमाबंदी में वादी की माता का नाम दर्ज कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में अन्य आराजी तो वादी के नाम सही अंकित कर दी गयी। किन्तु वंकिंग खसरा नम्बर 699 के हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.34 पर सम्पूर्ण हिस्से के सथान पर वादी के नाम उक्त आराजी का 2/3 हिस्सा ही दर्ज किया गया। जबकि वादी के नाम पूर्ण हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त पर दखलदांजी कर रहे है। व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व दान पत्र प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 699 रकबा 2–2–0 का सम्पूर्ण हिस्सा व अन्य आराजी का पंजीकृत दान पत्र रामस्वरूप, लादूराम पि0 किशना व पांची पत्नी नोरतमल ने वादी की माता शांति पुत्री किशना पत्नी पांचू के नाम दिनांक 24.05.2002 को किया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी खाता संख्या 171 में रामस्वरूप, लादूराम पि0 किशना व पांची पत्नी नोरतमल के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 25.10.02से वादी की माता शांति पुत्री किशना पत्नी पांचू के नाम अंकित हुयी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.34 आधार जमाबंदी सम्वत् 2059–78 के खाता संख्या 229 में नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 25.10.02 से वादी की माता के नाम 1/2 हिस्से का अंकन दर्ज किया गया। उसके बाद जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 25.6.04 से वादी के नाम होने का अंकन है। हाल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में उक्त आराजी पर वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज है तथा 1/3 हिस्से पर रामस्वरूप व लादूराम का नाम अंकित है। जबकि रामस्वरूप व लादूराम ने अपना पूर्ण हिस्सा दान पत्र के द्वारा वादी की माता के नाम कर दिया था। पूर्व राजस्व अभिलेख से भी उक्त कथन की ताईद होती है। दान पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादी उक्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.34 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मदनलाल बनाम मुकेश

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 43 / 2020
पेश करने की दिनांक – 30.06.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 1676 रकबा 0.34 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:26:08 IST
Reason: SelfAttested